संख्या– 297 /VI-2/2015–22(2)/2013 टी0सी0

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

31/3/15

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः– जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में जनपद स्तरीय स्पोर्टस कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु एस.पी.ए. के अन्तर्गत नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में जनपद स्तरीय स्पोर्टस कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु एस.पी.ए. के अन्तर्गत नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या–M13048/27(UTT)/2013-SP-N(5) दिनांक 12.03.2015 के द्वारा ₹1435.07 लाख की योजना स्वीकृति करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹585.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–44(21)पी.एफ. आई./2013–1599 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि **₹585.02 लाख (रू0 पांच करोड़ पिचासी लाख दो हजार मात्र) की** धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–08 पर प्रतिमाह अनिवार्य उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–11–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय––03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–04–स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नये कार्य)–24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत** संलग्न बी0एम0–09 के कॉलम–3 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–510(P)/XXVII (3)/2014–15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 297/VI-2/2015–22(2)/2013 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।